


140
425



भा.पी.नाथक ६३
२-११-१६

नि. 3770-416

२-११-१६

न्यायालय मान० राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015-16 निगरानी

श्रीमती आशा वाई पत्नि अशोक बानखेड़े

ग्राम दिनारा तहसील करैरा

जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

---आवेदित

विरुद्ध

1- म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

2- तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी

---अनावेदकगा

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/2015-16 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 23 जनवरी, 2016 के विरुद्ध)

क०पृ०३०--२

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./3770/दो/2016

जिला- शिवपुरी

आशा बाई विरुध म०प्र० शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिवाचकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 39/2015-16/अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 23/01/2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 16/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

3

हरि -
(आर०के० जैन)
सदस्य 28/5/19